

# NOTICE – GENERAL

No.: REG./GEN/2020-21/37

19, February 2021

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)

(अनुसूचित जाति/जनजाति, वर्ग के छात्रों हेतु)

संस्थान में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति, वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship Fee Reimbursement) हेतु जिन छात्रों ने आवेदन किया है के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांक C-7445/स०क०/छात्रवृत्ति/2020–21, दिनांक 18 फरवरी में दिये गये निर्देशानुसार, जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गया है ऐसे छात्र/छात्राओं को दिनांक 20 फरवरी 2021 तक संस्थान के कुलसचिव कार्यालय (Registrar Office) में स्वयं उपस्थित होकर स्वलिखित तथा उसके साथ निम्नांकित संलग्नक लगाकर प्रार्थना पत्र जमा करने है।

संलग्नको का विवरण निम्नवत् है:—

1. छात्र/छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
3. वर्तमान स्टेटस की प्रति।
4. संदिग्धता से सम्बन्धित साक्ष्य के नेट की प्रति।
5. छात्र/छात्रा का ए०के०टी०यू० का आवंटन पत्र (Allotment Letter) की प्रति यदि छात्र काउंसलिंग से है।
6. विगत वर्ष का अंकपत्र (Result)।

विलम्ब की स्थिति में आवेदन पत्र अग्रसरित न हो पाने तथा शुल्क प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवृत्ति अथवा दोनो ही न प्राप्त होने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

आज्ञा से,

(डा० सतीश चन्द्र)  
कुलसचिव 19/02/2021